

—:मूल वाद में अन्तिम डिक्री:-

पीठासीन अधिकारी श्री नन्द किशोर राजोरा आर0ए0एस

प्रकरण संख्या 343/2012 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अनवान

- 1- भंवरलाल पिता उंकार गुरु निवासी दातानिलावरी तह बनेडा जिला भीलवाड़ा
- 2- ओमप्रकाश पिता उंकार गुरु निवासी दातानिलावरी तह बनेडा जिला भीलवाड़ा
- 3- प्रेम पुत्री उंकार गुरु निवासी दातानिलावरी तह बनेडा जिला भीलवाड़ा
- 4- सन्तोष बेवा उंकार गुरु निवासी दातानिलावरी तह बनेडा ...वादीगण

बनाम

- 1-भैरू पिता हरनाथ जाट निवासी दातानिलावरी तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
- 2- देउ पुत्री हरनाथ जाट निवासी दातानिलावरी तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा
- 3- राजस्थान जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाड़ा प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से वादी संख्या 1 एवं प्रतिवादी गण कि ओर से प्रतिवादी संख्या 1 उप0 पक्षकारान की ओर से आपसी सहमती से राजीनामा हो चुका है। उक्त वाद में आदेश दिया जाता है और डिक्री कि जाती है की वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 स्वीकार किया जाता है। अतः वाके ग्राम दाता निलावरी प0ह0 बालेसरिया की सामलाती आराजी संख्या 535, 536, किता-2 रकबा 5 बीघा 01 बीस्वा भूमि विभाजन की निम्नानुसार एतद् द्वारा आज्ञा पारित कि जाती है :-

क-श्री भंवरलाल, ओमप्रकाश पिता उंकार, प्रेम पुत्री उंकार सन्तोक बैवा उंकार(गुरु) ब्रहमण आराजी संख्या

रकबा

535

2.11 बीघा-

कुल किता-1 रकबा 2.11 बीघा

ख- श्री भैरू पिता हरनाथ जाट, देउ पुत्री हरनाथ जाट

आराजी संख्या

रकबा

536

1.15 बीघा

536/2

0.14 बीघा

कुल किता-2 रकबा 2.09 बीघा

ग- निम्न भूमिया शामलाति मे रहेगी

आराजी संख्या

रकबा

536/1

0.01 बीघा

तहसीलदार बनेडा से प्राप्त सहमति विभाजन प्रार्थना पत्र पक्षकारान एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस को इस डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 3 ओपचारिक पक्षकारान होने से उनके विरुद्ध वादी का वाद अस्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण 1 लगायत 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादीगण के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावें।

पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्री प्रति पालनार्थ
तहसीलदार बनेडा को प्रेषित है।

(नन्द किशोर राजोरा)
उपखण्ड अधिकारी, बनेडा
उपखण्ड अधिकारी बनेडा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

दिनांक 19/6/2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी की गई।

(नन्द किशोर राजोरा)
उपखण्ड अधिकारी, बनेडा,
उपखण्ड अधिकारी बनेडा
जिला भीलवाड़ा (राज.)
दिनांक / / 2015

क्रमांक/राजस्व वाद प्र.स. 343/2012

प्रतिलिपि:-

तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि सलंगन विभाजन प्रस्ताव एवं
हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार माफिक डिक्री एवं आदेश के राजस्व अभिलेखों में पालना
की जाकर तरमीम शुदा नक्शा ट्रेस मय पालना रिपोर्ट के साथ 30 दिन की
समयावधि में प्रस्तुत करने की सुनिश्चिता करें।

(नन्द किशोर राजोरा)
उपखण्ड अधिकारी बनेडा,
उपखण्ड अधिकारी बनेडा
जिला भीलवाड़ा (राज.)